

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.- ...09...../2024

1. चेतनराम पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी नरसीनगर तहसील तारानगर जिला चूरु।
2. गहीपाल पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी नरसीनगर तहसील तारानगर जिला चूरु।
3. रणजीतसिंह पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी नरसीनगर तहसील तारानगर जिला चूरु।
4. संजय कुमार पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी नरसीनगर तहसील तारानगर जिला चूरु।
5. रामकोरी उर्फ मागकोरी पत्नी नारायण राम जाति जाट निवासी नरसीनगर तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थीगण -

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- अप्रार्थीगण -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 11/01/2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी मोतीसिंह तहसील तारानगर के खसरा नं. 59 तादादी 12.5186 हेक्टेयर व रोही जा नरसीनगर तहसील तारानगर के खसरा नं. 740 तादादी 2.6049 हैक्ट., खसरा नं. 795 तादादी 6.6007 हैक्ट. व खसरा नं. 796 तादादी 1.0622 हैक्ट., हैं। जिसमें प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम शः निराणा व नारायणा अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम नारायण राम सही है। प्रार्थीगण 1 ता 5 के आधार कार्ड, मूल निवास, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम नारायण राम है, जो कि सही नाम है। नाम में त्रुटि होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण 1 ता 5 के आधार कार्ड, मूल निवास, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम नारायण राम है, जो कि सही नाम है। नाम में त्रुटि होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी मोतीसिंह तहसील तारानगर के खसरा नं. 59 तादादी 12.5186 हेक्टेयर व रोही जा नरसीनगर तहसील तारानगर के खसरा नं. 740 तादादी 2.6049 हैक्ट., खसरा नं. 795 तादादी 6.6007 हैक्ट. व खसरा नं. 796 तादादी 1.0622 हैक्ट., में प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम नारायण राम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करें।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। भू.अ.नि. सात्युं कि रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम नारायण राम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहते हैं। अब अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम शः निराणा व नारायणा अंकित की जगह नारायण राम करवाने चाहते हैं। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम क्रमशः निराणा व नारायणा अंकित है। अतः प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम क्रमशः निराणा व नारायणा अंकित की जगह प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम नारायण राम दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि भू.अ.नि. सात्युं कि रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी मोतीसिंह तहसील तारानगर के खसरा नं. 59 तादादी 12.5186 हेक्टेयर व रोही मौजा नरसीनगर तहसील तारानगर के खसरा नं. 740 तादादी 2.6049 हैक्ट. व खसरा नं. 795 तादादी 6.6007 हैक्ट., खसरा नं. 796 तादादी 1.0622 हैक्ट., की जमाबन्दी में प्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीगण 5 के पति का नाम क्रमशः निराणा व नारायणा के स्थान पर नारायण राम दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु जवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल

हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।




(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)